

आप्रवासन प्रणाली में विश्वास बहाल करना

1 अप्रैल, 2026

अल्बर्टा सरकार एक ऐसा कानून ला रही है, जिसके ज़रिए वह आप्रवासन पर प्रांतीय निगरानी बढ़ाएगी, धोखाधड़ी पर नकेल कसेगी और इस व्यवस्था में लोगों का भरोसा बहाल करेगी।

संघीय सरकार का आब्रजन पर नियंत्रण खो जाने से जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि हुई है, सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव बढ़ा है और कुछ तत्वों द्वारा दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। इसके जवाब में, अल्बर्टा सरकार विधेयक 26, आब्रजन निगरानी अधिनियम पेश कर रही है, जो नियोक्ताओं, विदेशी श्रमिक भर्तीकर्ताओं और आब्रजन सलाहकारों पर प्रांतीय निगरानी को मजबूत करता है।

“अल्बर्टावासियों को यह जानने का अधिकार है कि अल्बर्टा में आब्रजन निष्पक्ष, पारदर्शी है और अल्बर्टा के श्रम बल की वास्तविक जरूरतों को पूरा करता है। यह कानून जवाबदेही बढ़ाता है और प्रांत को आब्रजन प्रणाली के उपयोग पर अधिक नियंत्रण देता है, साथ ही हमें वे उपकरण प्रदान करता है जिनका उपयोग अन्य प्रांत यह सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि प्रणाली अल्बर्टावासियों के हित में काम कर रही है।”

जोसेफ शो, रोजगार, अर्थव्यवस्था, व्यापार और आब्रजन मंत्री

यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो आब्रजन निगरानी अधिनियम के तहत नियोक्ताओं को संघीय अस्थायी विदेशी श्रमिक कार्यक्रमों का लाभ उठाने से पहले प्रांत में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह आब्रजन सलाहकारों और विदेशी श्रमिक भर्तीकर्ताओं के लिए एक लाइसेंसिंग प्रणाली भी स्थापित करेगा, जिससे निगरानी मजबूत होगी, धोखाधड़ी कम होगी और यह सुनिश्चित होगा कि अल्बर्टा में केवल वैध और योग्य व्यवसाय और सलाहकार ही कार्यरत हों।

विधेयक 26 अल्बर्टा को वे उपकरण प्रदान करता है जो पहले से ही सस्केचेवान और ब्रिटिश कोलंबिया जैसे क्षेत्रों में मौजूद हैं। एक नया नियोक्ता पंजीकरण और भर्तीकर्ताओं और सलाहकारों के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली निम्नलिखित लाभ प्रदान करेगी:

- फर्जी नौकरी के प्रस्ताव, अवैध शुल्क और गलत बयानी सहित धोखाधड़ी और शोषण पर नकेल कसना।
- कड़े दंड और अनुपालन उपकरणों के माध्यम से त्वरित प्रवर्तन को सक्षम बनाना।
- भर्ती में पारदर्शिता बढ़ाना और अल्बर्टा की श्रम आवश्यकताओं के साथ आब्रजन को बेहतर ढंग से संरेखित करना।

"अल्बर्टा सेंटर टू एंड ट्रेफिकिंग इन प्रसेंस के अध्यक्ष के तौर पर, मैं अल्बर्टा सरकार और रोज़गार, अर्थव्यवस्था, व्यापार और आप्रवासन मंत्रालय का आप्रवासन निगरानी अधिनियम लाने के लिए पूरे दिल से समर्थन करता हूँ। यह ज़रूरी कानून नए आने वालों और अस्थायी विदेशी कामगारों को शोषण से बचाने और हमारे प्रांत में लेबर ट्रेफिकिंग को रोकने की दिशा में एक अहम कदम है। नियोक्ता, भर्तीकर्ता और सलाहकार को जवाबदेह बनाकर, अल्बर्टा एक साफ़ संदेश दे रहा है कि यहाँ काम करने आने वाले कमज़ोर लोगों के साथ बुरा बर्ताव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

पॉल ब्रांड्ट, अध्यक्ष, अल्बर्टा सेंटर टू एंड ट्रेफिकिंग इन प्रसेंस

ज्यादातर एम्प्लॉयर्स, रिक्रूटर्स और इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स नियमों का पालन करते हैं और नए आने वालों का समर्थन करते हैं। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग को ज़रूरी बनाने से पारदर्शिता बढ़ती है, कमज़ोर कामगारों को सुरक्षा मिलती है और सिस्टम पर भरोसा मज़बूत होता है।

अल्बर्टा की सरकार यह पक्का करने के लिए कदम उठा रही है कि अप्रवासन प्रांत की अर्थव्यवस्था को सहारा दे, लेबर की कमी को पूरा करे और उन लोगों की रक्षा करे जो यहाँ एक बेहतर ज़िंदगी बनाने आते हैं।

संक्षिप्त तथ्य

- इमिग्रेशन (आप्रवासन) केंद्र और प्रांत की साझा ज़िम्मेदारी है।
- अल्बर्टा में फ़िलहाल कोई एक, व्यापक ढाँचा मौजूद नहीं है जो विदेशी नागरिकों को नौकरी पर रखने में शामिल एम्प्लॉयर्स, रिक्रूटर्स और इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पर नज़र रख सके।
- प्रतिबंधित गतिविधियों में विदेशी कामगारों को निशाना बनाकर दिए जाने वाले नकली नौकरी के ऑफ़र, अवैध फ़ीस और गलत जानकारी देना शामिल है।
- प्रस्तावित कानून में सज़ा के उपाय शामिल होंगे, जिनमें जुर्माना, लाइसेंस रद्द करना और नौकरी पर रखने या भर्ती करने पर रोक लगाना शामिल है।
- एक सार्वजनिक रजिस्ट्री के ज़रिए कामगार और आम लोग यह जाँच सकेंगे कि क्या एम्प्लॉयर्स, रिक्रूटर्स और कंसल्टेंट्स को अल्बर्टा में काम करने की अनुमति है।

संबंधित जानकारी

<https://www.alberta.ca/strengthening-immigration-oversight>



न्यूज रिलीज

मीडिया पूछताछ

हंटर बैरिल

hunter.baril@gov.ab.ca

780-619-5774

प्रेस सेक्रेटरी, रोज़गार, अर्थव्यवस्था, व्यापार और इमिग्रेशन